A 4
1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– दिनेश कुमार यादव
आई.ए.एस.

अपील संख्या 112/2017

1. ओमप्रकाश स्वामी दत्तक पुत्र बनवारीलाल जाति स्वामी निवासी इनदोखला जोहड़ तन इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू।

—— अपीलान्टस

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र कालुराम जाति स्वामी निवासी स्वामियों की ढाणी तन इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू।
2. मदनलाल पुत्र कालुराम जाति स्वामी निवासी स्वामियों की ढाणी तन इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू।
3. बाबूलाल पुत्र गणपतराय जाति स्वामी निवासी स्वामियों की ढाणी तन इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू।

—— रेस्पोडेन्टस

——

अपील अ.धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार चिड़ावा मुकदमा उनवानी भंवरलाल बनाम ओमप्रकाश प्रार्थना पत्र अ.धा. 251 आर.टी.एक्ट 1955 मुकदमा नम्बर 1/2014 निर्णय दिनांक 18.02.2014

उपस्थित :–

1. श्री उम्मेद राज सैनी एडवोकेट :– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विजयपाल एडवोकेट :– रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 लगायत 3 की ओर से।

आदेश

दिनांक 01.05.2018

पत्रावली आज पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिड़ावा के निर्णय दिनांक 18.02.2014 मु0न0 01/2014 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट् के अनुसार निम्नानुसार है :– अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्टस ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम इस्लामपुर की भूमि खसरा नम्बर 241 तादादी 0.10 हैक्टर गैर मुमकीन आबादी सैकाड़ो वर्षो से आबाद है। उक्त आबादी की दक्षिण दिशा में कस्बा झुंझुनू से ग्राम इस्लामपुर को जाने वाला रास्ता स्थित है। उस रास्ते व आबादी के खसरा नम्बर 241 के मध्य खसरा नम्बर 237 की भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 237 की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर की पूर्वी सीमा के सहारे से हमेशा पूर्वजों के समय से आते जाते रहे। उक्त प्रचलित रास्तो को अपीलान्ट ने बद कर

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

A4/2

दिया जिसको खुलवाया जावे जिस पर अदालत मातहत ने पत्र कमांक राजस्व/08/87 दिनांक 06.08.2008 द्वारा सरपंच/ग्राम सेवक ग्राम पंचायत इस्लामपुर को इस आदेश के साथ भिजवाया कि ग्रम पंचायत में प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार निर्णय पारित करें। जिस पर ग्राम पंचायत ने सक्षम अदालत के समक्ष मुकदमा विचाराधीन होने के कारण प्रकरण को सुनवाई का अधिकार न मानते हुये वापिस अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त प्रकरण की बाद सुनवाई कर तहसीलदार महोदय झुंझुनू ने दिनांक 19.09.2011 को प्रकरण को खारिज फरमाते हुये अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित कर दिया। जिसके खिलाफ रेस्पोडेन्ट ने जिला कलेक्टर झुंझुनू की अदालत में अपील पेश की जिसको अदालत ने स्वीकार करते हुये उभय पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए मौके की जांच कर मौका नक्शा बनाकर जिधर से रास्ता बंद किया गया है उस रास्ते के बिन्दु को स्पष्ट करते हुये पत्रावली विचारण हेतु तहसीलदार झुंझुनू को प्रेषित कर दी। तहसीलदार महोदय झुंझुनू के समक्ष उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु पेश हुआ तो अपीलान्ट ने जिला कलक्टर महोदय झुंझुनू के आदेश दिनांक 22.11.2011 की पालना में मौके जांच एवं रास्ते के संदर्भ में मौका निरीक्षण करने हेतु निवदेन किया और पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार महोदय झुंझुनू ने न तो मौका निरीक्षण पक्षकारों की उपस्थिति में किया और न ही अपीलान्ट को इस बात की कोई जानकारी होने दी कि तहसीलदार झुंझुनू किस रोज मौके का निरीक्षण करने जायेंगे। प्रकरण की तारीख पेशी के दिन जब अपीलान्ट ने तहसीलदार महोदय से मौके का निरीक्षण किये जाने हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय ने कहां कि मैने मौका देख लिया है और वे तो उक्त प्रकरण में अपना अंतिम निर्णय पारित करने जा रहे है। ना तो अपीलान्ट के समक्ष कोई मौका रिपोर्ट ही तैयार की और न ही उस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवाये जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने श्रीमानजी की अदालत में प्रकरण को अन्यत्र अदालत में अंतरित किये जाने हेतु आवेदन किया, जिसको श्रीमान ने खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जिस पर उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु पत्रावली को तहसीलदार चिड़ावा के समक्ष प्रेषित किये जाने का आदेश किया। इस प्रकार से उक्त प्रकरण का निर्णय तहसीलदार चिड़ावा ने दिनांक 18.02.2014 को विरूद्ध पत्रावली पारित कर दिया। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट दिनांक 28.08.2008 को नजरअन्दाज करते हुये खसरा नम्बर 237 में से ए से बी बिन्दू तक रास्ता खोले जाने का जो आदेश पारित किया है वह आदेश दिनांक 09.05.2008 की मौका रिपोर्ट जो पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की गई को अनदेखा कर पारित किया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट में पटवारी हल्का इस्लामपुर ने बड़े ही स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा नम्बर 241 जो गैर मुमकिन आबादी है उस गैर मुमकिन आबादी के पास खसरा नम्बर 240 व खसरा नम्बर 240/1684 है जिसमें रेस्पोडेन्ट के परिवार के सदस्य मकानात बनाकर आबाद है और आवागमन हेतु खसरा नम्बर 240, 240/1684 के मध्य में से पुराने प्रचलित रास्ता कायम चला आ रहा है और खसरा नम्बर 237 में से वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है उक्त रिपोर्ट की अनदेखी करने में अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत का आदेश दिनांक 18.02.2014 खारिज होने योग्य हैं। अदालत मातहत के समक्ष विधि का प्रश्न भी पैदा हुआ था कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कहां पर लागू होता है इस ओर भी अदालत मातहत ने न तो विधि की कोई व्याख्या की है महज मनगढन्त आधारो पर अपना निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जोत की भूमि जो काश्त योग्य हो में से काश्त की भूमि पर पूर्व में प्रचलित रास्ते के अधिकार के सन्दर्भ में ही लागू होती है जबकि उक्त प्रकरण में तो खसरा नम्बर 241 गैर मुमकिन आबादी है और उक्त गैर मुमकिन आबादी में बसे हुये रेस्पोडेन्टस खसरा नम्बर 237 जो कि गैर मुमकिन आबादी की भूमि में से रास्ता कायम करवाना चाहते है विधि की मन्शा कभी भी यह नहीं

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

A 4/3

रही है कि आबादी भूमि में से रास्ता कायम किये जाने का अधिकार धारा 251 में दिया गया हो। फिर भी अदालत मातहत ने विधि के उक्त बिन्दू के विपरित जाकर के अपना निर्णय पारित किया है जो निर्णय खारीज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में 1961 के पंचायत के फैसले के सन्दर्भ में भी फाईन्डिग दी है कि ग्राम पंचायत ने 1961 में उक्त खसरा नम्बर 237 में से रास्ता कायम किया। उक्त निर्णय की प्रति अदालत मातहत के समक्ष पत्रावली में मिसल शामिल की गई तो अपीलान्ट ने भी उक्त निर्णय की प्रति हेतु ग्राम पंचायत इस्लामपुर में आवेदन किया जिस पर अपीलान्ट को उक्त निर्णय की प्रति न देते हुये लिखित में यह जबाब दिया कि उक्त कार्यकाल के दौरान का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत इस्लामपुर के कार्यालय में नहीं है जिसकी प्रति अपीलान्ट ने उक्त पत्रावली पर भी लगाई। जब प्रथम दृष्टया प्रस्तुत दस्तावेज का असल ही रिकार्ड पर नहीं है और उससे सम्बन्धित कोई वाजिब कारण नहीं होने का सबूत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कर देने के पश्चात भी अदालत मातहत ने उस काल्पनिक निर्णय का अवलम्ब लेकर आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्टस भंवर लाल व मदन लाल जो कि अपने खेतो में जाने हेतु रास्ता की मांग की है उन्होने अपने हिस्से की जमीन का विक्रय दिनांक 18.02.2014 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया। इस प्रकार से रेस्पोडेन्टस की जो मन्शा खेतो में जाने हेतु रास्ते की थी वो खत्म हो चुकी है इसलिए अदालत मातहत के आदेश को निरस्त फरमाया जाना न्यायोचित होगा। अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह साबित कर दिया था कि रेस्पोडेन्टस के पास आवागमन हेतु रास्ता है और सदैव से ही उसी रास्ते के माध्यम से रेस्पोडेन्टस आते जाते रहे है महज अपीलान्ट को तंग परेशान करने की नियत से व अपीलान्ट की भूमि को खुर्द बुर्द करने के उदेश्य से रास्ता कायम करवाना चाहते है फिर भी अदालत मातहत ने इस ओर गौर न कर अपना आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट की भूमि में जलदाय विभाग के द्वारा पानी के हैडपम्प होने का अवलम्ब लिया है जबकि अपीलान्ट की भूमि में वर्तमान में न तो कोई हैडपम्प है फिर भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में कथन अंकित कर दिया जो कि सरासर गलत है इसलिए अदालत मातहत का आदेश खारिज होने योग्य है। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 18.02.2014 को खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये निवेदन किया कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्टस ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम इस्लामपुर की भूमि खसरा नम्बर 241 तादादी 0.10 हैक्टर गैर मुमकीन आबादी सैकाड़ो वर्षो से आबाद है। उक्त आबादी की दक्षिण दिशा में कस्बा झुंझुनू से ग्राम इस्लामपुर को जाने वाला रास्ता स्थित है। उस रास्ते व आबादी के खसरा नम्बर 241 के मध्य खसरा नम्बर 237 की भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 237 की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर की पूर्वी सीमा के सहारे से हमेशा पूर्वजों के समय से आते जाते रहे। उक्त प्रचलित रास्तो को अपीलान्ट ने बद कर दिया जिसको खुलवाया जावे जिस पर अदालत मातहत ने पत्र कमांक राजस्व/08/87 दिनांक 06.08.2008 द्वारा सरपंच/ग्राम सेवक ग्राम पंचायत इस्लामपुर को इस आदेश के साथ भिजवाया कि ग्रम पंचायत में प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार निर्णय पारित करें। जिस पर ग्राम पंचायत ने सक्षम अदालत के समक्ष मुकदमा विचाराधीन होने के कारण प्रकरण को सुनवाई का अधिकार न मानते हुये वापिस अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त प्रकरण की बाद सुनवाई कर तहसीलदार महोदय झुंझुनू ने दिनांक 19.09.2011 को प्रकरण को खारिज फरमाते हुये अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित कर दिया। जिसके खिलाफ रेस्पोडेन्ट ने जिला कलेक्टर झुंझुनू की अदालत में अपील पेश की जिसको अदालत ने स्वीकार करते हुये उभय पक्षकारों को समुचित

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

A 4/4

सुनवाई का अवसर देते हुए मौके की जांच कर मौका नक्शा बनाकर जिधर से रास्ता बंद किया गया है उस रास्ते के बिन्दु को स्पष्ट करते हुये पत्रावली विचारण हेतु तहसीलदार झुंझुनू को प्रेषित कर दी। तहसीलदार महोदय झुंझुनू के समक्ष उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु पेश हुआ तो अपीलान्ट ने जिला कलक्टर महोदय झुंझुनू के आदेश दिनांक 22.11.2011 की पालना में मौके जांच एवं रास्ते के संदर्भ में मौका निरीक्षण करने हेतु निवदेन किया और पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार महोदय झुंझुनू ने न तो मौका निरीक्षण पक्षकारों की उपस्थिति में किया और न ही अपीलान्ट को इस बात की कोई जानकारी होने दी कि तहसीलदार झुंझुनू किस रोज मौके का निरीक्षण करने जायेंगे। प्रकरण की तारीख पेशी के दिन जब अपीलान्ट ने तहसीलदार महोदय से मौके का निरीक्षण किये जाने हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय ने कहां कि मैने मौका देख लिया है और वे तो उक्त प्रकरण में अपना अंतिम निर्णय पारित करने जा रहे है। ना तो अपीलान्ट के समक्ष कोई मौका रिपोर्ट ही तैयार की और न ही उस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवाये जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने श्रीमानजी की अदालत में प्रकरण को अन्यत्र अदालत में अंतरित किये जाने हेतु आवेदन किया, जिसको श्रीमान ने खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जिस पर उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु पत्रावली को तहसीलदार चिड़ावा के समक्ष प्रेषित किये जाने का आदेश किया। इस प्रकार से उक्त प्रकरण का निर्णय तहसीलदार चिड़ावा ने दिनांक 18.02.2014 को विरूद्ध पत्रावली पारित कर दिया। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट दिनांक 28.08.2008 को नजरअन्दाज करते हुये खसरा नम्बर 237 में से ए से बी बिन्दू तक रास्ता खोले जाने का जो आदेश पारित किया है वह आदेश दिनांक 09.05.2008 की मौका रिपोर्ट जो पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की गई को अनदेखा कर पारित किया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट में पटवारी हल्का इस्लामपुर ने बड़े ही स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा नम्बर 241 जो गैर मुमकिन आबादी है उस गैर मुमकिन आबादी के पास खसरा नम्बर 240 व खसरा नम्बर 240/1684 है जिसमें रेस्पोडेन्ट के परिवार के सदस्य मकानात बनाकर आबाद है और आवागमन हेतु खसरा नम्बर 240, 240/1684 के मध्य में से पुराने प्रचलित रास्ता कायम चला आ रहा है और खसरा नम्बर 237 में से वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है उक्त रिपोर्ट की अनदेखी करने में अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत का आदेश दिनांक 18.02.2014 खारिज होने योग्य हैं। अदालत मातहत के समक्ष विधि का प्रश्न भी पैदा हुआ था कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कहां पर लागू होता है इस ओर भी अदालत मातहत ने न तो विधि की कोई व्याख्या की है महज मनगढन्त आधारो पर अपना निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जोत की भूमि जो काश्त योग्य हो में से काश्त की भूमि पर पूर्व में प्रचलित रास्ते के अधिकार के सन्दर्भ में ही लागू होती है जबकि उक्त प्रकरण में तो खसरा नम्बर 241 गैर मुमकिन आबादी है और उक्त गैर मुमकिन आबादी में बसे हुये रेस्पोडेन्टस खसरा नम्बर 237 जो कि गैर मुमकिन आबादी की भूमि में से रास्ता कायम करवाना चाहते है विधि की मन्शा कभी भी यह नहीं रही है कि आबादी भूमि में से रास्ता कायम किये जाने का अधिकार धारा 251 में दिया गया हो। फिर भी अदालत मातहत ने विधि के उक्त बिन्दू के विपरित जाकर के अपना निर्णय पारित किया है जो निर्णय खारीज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में 1961 के पंचायत के फैसले के सन्दर्भ में भी फाईन्डिग दी है कि ग्राम पंचायत ने 1961 में उक्त खसरा नम्बर 237 में से रास्ता कायम किया। उक्त निर्णय की प्रति अदालत मातहत के समक्ष पत्रावली में मिसल शामिल की गई तो अपीलान्ट ने भी उक्त निर्णय की प्रति हेतु ग्राम पंचायत इस्लामपुर में आवेदन किया जिस पर अपीलान्ट को उक्त निर्णय की प्रति न देते हुये लिखित में यह जबाब दिया कि उक्त कार्यकाल के दौरान का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत इस्लामपुर के कार्यालय में नहीं है जिसकी प्रति अपीलान्ट ने

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

A4/3

उक्त पत्रावली पर भी लगाई। जब प्रथम दृष्टया प्रस्तुत दस्तावेज का असल ही रिकार्ड पर नहीं है और उससे सम्बन्धित कोई वाजिब कारण नहीं होने का सबूत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कर देने के पश्चात भी अदालत मातहत ने उस काल्पनिक निर्णय का अवलम्ब लेकर आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्टस भंवर लाल व मदन लाल जो कि अपने खेतो में जाने हेतु रास्ता की मांग की है उन्होने अपने हिस्से की जमीन का विक्रय दिनांक 18.02.2014 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया। इस प्रकार से रेस्पोडेन्टस की जो मन्शा खेतो में जाने हेतु रास्ते की थी वो खत्म हो चुकी है इसलिए अदालत मातहत के आदेश को निरस्त फरमाया जाना न्यायोचित होगा। अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह साबित कर दिया था कि रेस्पोडेन्टस के पास आवागमन हेतु रास्ता है और सदैव से ही उसी रास्ते के माध्यम से रेस्पोडेन्टस आते जाते रहे है महज अपीलान्ट को तंग परेशान करने की नियत से व अपीलान्ट की भूमि को खुर्द बुर्द करने के उदेश्य से रास्ता कायम करवाना चाहते है फिर भी अदालत मातहत ने इस ओर गौर न कर अपना आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट की भूमि में जलदाय विभाग के द्वारा पानी के हैडपम्प होने का अवलम्ब लिया है जबकि अपीलान्ट की भूमि में वर्तमान में न तो कोई हैडपम्प है फिर भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में कथन अंकित कर दिया जो कि सरासर गलत है इसलिए अदालत मातहत का आदेश खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2014 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम इस्लामपुर के खसरा नम्बर 237 व 239 के दक्षिण में से एक रास्ता इस्लामपुर से काली पहाड़ी को जाता है। इसी रास्ते से एक रास्ता फटकर खसरा नम्बर 237 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 241 एवं आस– पास में बसे आबादी में जाता था। जो काफी पुराना एवं कदीमी रास्ता था जिसे दुरूस्तीकरण का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा भी लिया गया था। इस रास्ते में मध्य खातेदार ओमप्रकाश ने दिवार बनाकर अवरोध कर दिया है। एवं इसी दौरान खातेदार ओमप्रकाश ने खसरा नम्बर 237 रकबा 0.11 हैक्टर भूमि का आवासीय संपरिर्वतन करवा लिया आवसीय संपरिवर्तन आदेश पर उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा कियान्विती स्थगित कर रखी है। जिससे स्पष्ट जाहीर होता है कि पूर्व में यहां से रास्ता था इस रास्ते के अलावा खसरा नम्बर 241 में एव इसके आस – पास बसी हुई आबादी में जाने का और कोई रास्ता नहीं है। जिसको खसरा नम्बर 237 के खातेदार ओमप्रकाश दत्तक पुत्र बनवारी लाल स्वामी निवासी इन्दोखला जोहड़ तन इस्लामपुर ने बन्द कर दिया है। अदालत मातहत ने उक्त समस्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये मौका रिपोर्ट दिनांक 11.02.2014 के बिन्दु 'अ' से 'ब' जो लाल स्याही में दर्शाया गया है। जिसको अपीलान्ट द्वारा कदीमी प्रचलित रास्ता बन्द कर रखा है उसको खुलवाये जाने के आदेश दिये है तथा मौके पर सड़क बनायी जाकर रास्ता चालु है। प्रचलित रास्ते में अवरोध को हटाने का आदेश 251 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम 1955 के तहत आता है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2014 विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली , दस्तावेजों व तहसीलदार चिड़ावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2014 का अवलोकन एवं मनन किया गया । पत्रावली एंव समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रतीत

जिला कलक्टर झुन्झुनू

होता है कि प्रकरण में ग्राम पंचायत इस्लामपुर द्वारा वर्ष 1961 में मौके पर प्रचलित रास्ते को खोले जाने के आदेश लिये गये थे तथा वकील रेस्पोडेन्ट का यह कथन की मौके पर सड़क का निर्माण किया जाकार रास्ता चालु है से सिद्ध होता है कि मौके पर काफी वर्षो से रास्ता मौजूद था। जिसको अपीलान्ट द्वारा दिवार बनाकर अवरूद्ध किया गया था। अपीलान्ट का यह कथन की भूमि की किस्म गै.मु. आबादी है जिससे प्रकरण 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का नहीं बनता के संबंध में भी ग्राम पंचायत इस्लामपुर द्वारा दिनांक 23.09.2008 को निर्णय पारित कर तहसीलदार के समक्ष सूनवाई किया जाना उचित माना है तथा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सुखाचार का बिन्दू प्रथम दृष्टया होता है मौके पर पक्षकारान का यदि रास्ते को लेकर सुखाचार प्रभावीत होता है तो प्रकरण 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सुना जाना न्यायोचित है। चुंकि रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार मौके पर सड़क बनवायी जा चुकी है व रास्ता चालु है। अतः अपीलान्ट की अपील का कोई आधार शेष नहीं रहा है। अदालत मातहत का निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी भी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांटस में कोई फोर्स नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। मिसल मातहत अदालत मय आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं